उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 422–पारे0अनु0–04 / पाट्राकालि–2022–20 / 2009 टी0सी0– ।। दिनांकः 16 जून, 2022

मुख्य अभियन्ता (पारे0 क्षेत्र दक्षिण–पूर्व) / (पारे0 क्षेत्र उत्तर–पूर्व) /
(पारे0 क्षेत्र दक्षिण–मध्य) / (पारे0 क्षेत्र दक्षिण–पश्चिम) /
(पारे0प0) / (पारे0म0) / (संचार एवं नियंत्रण) /
(ऊर्जा प्रणाली परिचालन) / (सी0एम0यू0टी0) /
(765 एवं 400 के0वी0 परिकल्पना इकाई) / (नियोजन) /
(जानपद पारेषण–प्रथम / द्वितीय) /
उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0,
प्रयागराज / गोरखपुर / झाँसी / आगरा / मेरठ / लखनऊ।

ई–मेल

विषय–**उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा / संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ द्वारा दिनांक 28.06.2022 से धरना प्रदर्शन एवं दिनांक 30.06.2022 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने की नोटिस के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उक्त विषय के सम्बन्ध में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा / संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ के पत्र संख्या–1 / 22, दिनांक 01.06.2022 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से निम्नवत् चरणबद्ध आन्दोलन करने का नोटिस दिया गया है :–

क0सं0	दिनांक	कार्यक्रम	कार्यक्रम स्थल
1	28.06.2022	धरना प्रदर्शन	ईको गार्डन, आलमबाग, लखनऊ
2	29.06.2022	धरना प्रदर्शन	शक्ति भवन / विधान सभा, लखनऊ
3	30.06.2022	अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार / हड़ताल	ईको गार्डन, आलमबाग, लखनऊ

आप विदित हैं कि अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) द्वारा जारी शासनादेश सं0–1523 / 24–पी–2–21–1 (121) / 04, दिनांक 04.01.2022 द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या– 30 सन् 1966) की धारा (3) की उपधारा (8) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश कारपोरेशन के पत्र संख्या –64–औ0सं0–17 / पाकालि / 2022–159–ए / 67, दिनांक 11.01.2022 द्वारा सभी को संसूचित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का कार्य बहिष्कार करना न केवल अनुचित है अपितु अवैधानिक भी है।

यह भी उल्लेखनीय है कि कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–929–औ0सं0 / 17 / पाकालि / 2001–3ए0 / 79, दिनांक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में "काम नही तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किये के जाने के आदेश भी विद्यमान हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके अधीन कार्य कर रही आउटसोर्स एजेन्सी को निर्देशत कर दिया जाय कि पारेषण उपकेन्द्रों / अनुरक्षण कार्य में लगाये गये संविदा श्रमिकों एवं अन्य श्रमिकों को किसी भी दशा में आन्दोलन में प्रतिभाग करने हेतु अवकाश स्वीकृत न किया जाय, तथा यदि कोई आउटसोर्स श्रमिक उक्त अवैधानिक गतिविधि में प्रतिभाग करता है तो उसे कार्य से विरत कर दिया जाय। उक्त धरना–प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार / हड़ताल आन्दोलन नोटिस के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्र व संयंत्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला–प्रशासन / पुलिस प्रशासन से संपर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये।

क्रमशः 2 / –

उपर्युक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)

संख्या : 422–पारे0अनु0–04/पाट्राकालि/2022 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव (पारेषण प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप सचिव (पारेषण–प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(अनिल पाठक)
उप सचिव (पारेषण–तृतीय)

एकता!! रजि. सं. 10134 संघर्ष!! विश्वास!!! विजय!!!!

उ.प्र. पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ

प्रधान कार्यालय : 356/318/281 मानस विहार, सरीपुरा, आलमनगर रोड, लखनऊ

मुख्य संरक्षक	प्रदेश अध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश महामंत्री	संयुक्त मंत्री
मा. [illegible] किशोर सांसद, मोहनलालगंज, लखनऊ	मो. खालिद मो. 8565087409	सुरेन्द्र पाण्डेय	[illegible]	[illegible]	देवेन्द्र कुमार पाण्डेय मो. 8400754341	रमेश चन्द्र राजपूत

संयुक्त मंत्री	संगठन मंत्री	संगठन मंत्री	प्रचार मंत्री	कार्यालय मंत्री	कोषाध्यक्ष
सियाराम	हरिश्चन्द्र यादव	रण बहादुर सिंह यादव	रंजीत कनौजिया	सुशील कुमार	प्रमोद मिश्र

पत्रांक : 01/22 दिनांक 1-6-2022

आन्दोलन की नोटिस

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री जी/मा0 ऊर्जा मंत्री जी,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

श्रीमान मुख्य सचिव,/अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा)
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

श्रीमान अध्यक्ष/प्रबन्धक निदेशक,
उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0
शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय– उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा कार्य के अनुरूप अनुबन्ध न करने, आउटसोर्स कर्मचारियों में दोहरा व्यवहार करने, कर्मचारियों की दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश न लगाने, दुर्घटना के शिकार कर्मचारियों का उपचार न कराने, ई0पी0एफ0 घोटाले की जांच न कराने, भिन्न–भिन्न प्रकार से धन उगाही करने, उच्च प्रबन्धन के आदेश का पालन न करने, विभाग की नीतियों का उल्लंघन करने एवं अन्य के सम्बन्ध में।

माननीय जी/महोदय जी,

अवगत कराना है कि –

उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा संविदाकारों के माध्यम से तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों से लाइन मैन, उपकेन्द्र परिचालक, कम्प्यूटर आपरेटर, मीटर रीडिंग आदि कार्य कराया जा रहा है तथा कार्य के अनुरूप अनुबन्ध न कर लेबर का अनुबन्ध किया जा रहा है। लेबर का अनुबन्ध होने के कारण कार्य के अनुरूप सुरक्षा उपकरण नहीं मिलता है जिससे आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। इस प्रकार पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा कार्य के अनुरूप अनुबन्ध न कर जहां एक तरफ इन कर्मचारियों को आर्थिक क्षति पहुंचायी जा रही है, वहीं दूसरी ओर असामायिक दुर्घटनायें करायी जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा दोहरी नीति के तहत संविदाकारों के माध्यम से तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों का अनुबन्ध लगभग रू0 11000/-- का तथा सैनिक कल्याण निगम से तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों का अनुबन्ध लगभग रू0 24000/– का किया जा रहा है। वहीं उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.04.2019 के द्वारा पावर कार्पोरेशन के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को वाह्य सेवा प्रदाता

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0

क्रमशः 2

एच.आई. रजि. सं. 10134 संघर्ष!! विश्वास!!! विजय!!!

उ.प्र. पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ

प्रधान कार्यालय : 356/318/281 मानस विहार, सरीपुरा, आलमनगर रोड, लखनऊ

मुख्य संरक्षक	प्रदेश अध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश महामंत्री	संयुक्त मंत्री
मा. [illegible] किशोर, सांसद, [illegible], लखनऊ	मो. खालिद, मो. 8565087409	सुरेन्द्र पाण्डेय	हर्षवर्धन	विवेक [illegible]	देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, मो. 8400754541	रमेश चन्द्र राजपूत

संयुक्त मंत्री	संगठन मंत्री	संगठन मंत्री	प्रचार मंत्री	कार्यालय मंत्री	कोषाध्यक्ष
सियाराम	हरिश्चन्द्र यादव	रण बहादुर सिंह यादव	रंजीत कनौजिया	सुशील कुमार	प्रमोद मिश्र

पत्रांक : 01/22 दिनांक -6-2022

(ठेकेदारों/संविदाकारों) के माध्यम से रखे जाने पर रू0 21,665/- का अनुबन्ध करने का आदेश निर्गत किया गया है (छाया प्रति संलग्न)। इस प्रकार तीनों माध्यमों से तैनात कर्मचारी आउटसोर्स के कर्मचारी हैं तथा तीनों का एक ही कार्य होते हुए भी उनके अनुबन्ध में बहुत बड़ा अंतर होने के कारण ठेकेदारों/संविदाकारों के माध्यम से तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा दोहरा व्यवहार किया जा रहा है।

3. **उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा भी, लोक निर्माण विभाग के अधीन खण्डों में संविदा/आउटसोर्सिंग (ठेकेदारी प्रथा) के आधार पर कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक (ठेकेदार का लाभांश व जी0एस0टी0) को छोड़कर रू0 22000/- निर्धारित किया गया है** (छाया प्रति संलग्न)। जबकि उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा घातक कार्य कराये जाने के बावजूद भी ठेकेदारों/संविदाकारों के माध्यम से तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों का अनुबन्ध रू0 11000/- किया जा रहा है।

4. उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन के अधिकारियों द्वारा बिना सुरक्षा उपकरण दिये दबाव बनाकर कार्य कराने तथा दुर्घटना के शिकार कर्मचारियों का उचित उपचार न कराने के कारण जहां एक तरफ प्रत्येक वर्ष सैकड़ों कर्मचारियों की मृत्यु हो रही है वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों कर्मचारी विकलांग होकर दूसरे के सहारे जीवन यापन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। जिन्हें जीवन यापन भत्ता भी नहीं दिया जाता है।

5. उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन के अधिकारियों व संविदाकारों के मिली भगत से इन कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 के मद में कटे पैसे का बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। जिसकी संघ द्वारा जांच की बार-बार मांग करने पर भी पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा जांच नहीं करायी जा रही है।

6. कुछ संविदाकारों द्वारा अपने निजी स्वार्थवश 55 वर्ष का आधार बनाकर कर्मचारियों को कार्य से हटाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मेसर्स ब्राड कास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंन्ट प्रा0 लि0 द्वारा हरदोई में तथा मेसर्स टी0डी0एस0 कम्पनी द्वारा बिजनौर में कर्मचारियों को कार्य से हटाया गया है यही नहीं स्थानीय अधिकारियों व संविदाकारों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के मनगढ़ंत आरोप लगाकर उच्च प्रबन्धन के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कर्मचारियों को हटाने व रखने के नाम पर धन उगाही की जा रही है।

7. उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा विभाग के नीतियों के विरुद्ध मस्टरोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर कार्य कराने के स्थान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की तैनाती कर कार्य कराया जा रहा है।

उक्त समस्याओं को ध्यान में रखकर संघ द्वारा 07 सितम्बर 2021 से 08 जनवरी 2022 तक लोक तांत्रिक रूप से आन्दोलन किया गया। इस बीच माननीय

क्रमशः 3

पत्रांक : 01/22 दिनांक 1-6-2022

ऊर्जा मंत्री जी उ0प्र0 सरकार, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन एवं संघ के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई जिसमें मा0 ऊर्जा मंत्री जी द्वारा, संघ द्वारा उठायी जा रही समस्याओं को जायज बताते हुए, समस्याओं का निस्तारण करने का निर्देश दिया गया, किन्तु पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा उक्त समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया। जिसके बाद संघ द्वारा पुनः पत्र लिखकर समस्याओं का समाधान करने का निवेदन किया गया। इसके बावजूद भी पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा न तो समस्याओं का समाधान किया गया और न ही समस्याओं के समाधान की दिशा में संघ से वार्ता की गयी जिससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है।

अतः माननीय जी/श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त समस्याओं को ध्यान में रखकर दिनांक 27.06.2022 तक समस्याओं का समाधान करने की कृपा करें। अन्यथा की स्थिति में संघ द्वारा दिनांक 28.06.2022 को ईको गार्डेन आलमबाग, लखनऊ में धरना प्रदर्शन एवं दिनांक 29.06.2022 को शक्ति भवन/विधानसभा, लखनऊ पर धरना प्रदर्शन किया जायेगा तथा इससे भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो दिनांक 30.06.2022 से अनिश्चित कालीन कार्य बहिष्कार/हड़ताल कर ईको गार्डेन आलमबाग, लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया जायेगा। जिसमें होने वाले किसी भी प्रकार की क्षति अथवा औद्योगिक अशान्ति की जिम्मेदारी पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन की होगी।

संलग्नक–मांग पत्र संलग्न।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
प्रदेश महामंत्री
मो0 : 8400754341

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मा0 सांसद कौशल किशोर जी, केन्द्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं मुख्य संरक्षक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ।
2. श्रीमान जिलाधिकारी, लखनऊ।
3. पुलिस आयुक्त (कमिश्नरेट), महानगर, लखनऊ।
4. पुलिस उपायुक्त (मध्य), हजरतगंज, लखनऊ।
5. सम्बन्धित थानाध्यक्ष, लखनऊ।
6. समस्त दैनिक समाचार पत्र, लखनऊ।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
प्रदेश महामंत्री

एकता! रजि. सं. 10[illegible]4 संघर्ष!! विश्वास!!! विजय!!!!

उ.प्र. पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ

प्रधान कार्यालय : 356/318/281 मानस विहार, सरीपुरा, आलमनगर रोड, लखनऊ

मुख्य संरक्षक **डा. कौशल किशोर** सांसद, मोहनलालगंज, लखनऊ | प्रदेश अध्यक्ष **मो. खालिद** मो. [illegible]5037409 | प्रदेश उपाध्यक्ष **सुरेन्द्र पाण्डेय** | प्रदेश उपाध्यक्ष **हर्षवर्धन** | प्रदेश उपाध्यक्ष **विवेक माथुर** | प्रदेश महामंत्री **देवेन्द्र कुमार पाण्डेय** मो. 8400754341 | संयुक्त मंत्री **रमेश चन्द्र राजपूत**

संयुक्त मंत्री **सियाराम** | संगठन मंत्री **हरिश्चन्द्र यादव** | संगठन मंत्री **रण बहादुर सिंह यादव** | प्रचार मंत्री **रंजीत कनौजिया** | कार्यालय मंत्री **सुशील कुमार** | कोषाध्यक्ष **प्रमोद मिश्र**

पत्रांक : 01/22

दिनांक 1-6-2022

मांग पत्र

1. आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों का, कार्य के अनुरूप अनुबन्ध कर समान कार्य का समान वेतन दिया जाये या वेतन रू0 18000/-- निर्धारित कर उ0प्र0 सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले हितलाभों को दिया जाये।

2. आउटसोर्स कर्मचारियों की हो रही दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए कार्य के दौरान घायल कर्मचारियों का कैशलेस उपचार कराया जाये तथा परिवार के भरण पोषण हेतु उपचार अवधि का वेतन दिया जाये।

3. आउटसोर्स कर्मचारियों के परिजनों को दुर्घटना हित लाभ के रूप में रू0 10,00,000/- (रू0 दस लाख मात्र) का अनुग्रह धनराशि दिया जाये तथा परिवार के एक सदस्य को विभाग की सेवा में लिया जाये।

4. आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य/मानक, के अनुरूप सुरक्षा उपकरण दिया जाये।

5. आउटसोर्स कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 व ई0एस0आई0 में हुए घोटले की जांच करायी जाये।

6. आउटसोर्स कर्मचारियों को 62 वर्ष की अवस्था तक कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाये तथा 55 वर्ष का आधार बनाकर हटाये गये कर्मचारियों को कार्य पर वापस लिया जाये।

7. आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य से हटाने तथा स्थानान्तरण के नाम पर की जा रही धन उगाही पर रोक लगायी जाये।

8. आउटसोर्स कर्मचारियों को पेट्रोल व मोबाइल भत्ता दिया जाये।

9 आउटसोर्स कर्मचारियों को विभाग की नीतियों के अनुरूप मस्टरोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर कार्य कराया जाये।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
प्रदेश महामंत्री
मो0 : 8400754341

सं0 114 नि0(का0प्र0 एवं प्र0)/पाकालि/20

(M. Devaraj)
Chairman

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग-2
संख्या: 1523/24-पी-2-2021-1(121)/04
लखनऊ, दिनांक: 04 जनवरी, 2022

अधिसूचना
आदेश

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

2- अतएव, अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1(के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 2- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ, 3- उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ, 4- उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 5- कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, 6- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, 7- पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, 8- पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ और 9- दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाय।

आज्ञा से,

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:- 1523(1)/24-पी-2-2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 04.01.2022 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनिर्धारित आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। कृपया मुद्रण के उपरान्त मैटर को तोड़ दिया जाये।

आज्ञा से,

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1523/24-P-2-2021-1(121)/2004, dated- 04-01-2022.

UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG-2
NO. 1523/24-P-2-2021-1(121)/04
Dated, Lucknow: 04-01-2022.

Notification

WHEREAS, the state Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

Now THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P Act no. XXX of 1966), the Governor is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the Gazette, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited, Lucknow, 4. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 5 Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 6. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow, 7. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi, 8. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 9. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the section 3 of the said Act that this order shall be published in the Gazette.

By order,

(ALOK SINHA)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

संख्याः– 1523(2)/24-पी-2-2021-1(121)/04, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

(1) अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(2) अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(6) समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।
(7) सूचना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आदेश को विशेष रूप से प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।
(8) विधायी अनुभाग–1
(9) श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(10) प्रबन्ध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी (केस्को), कानपुर।
(11) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
(12) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
(13) प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
(14) प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
(15) गोपन अनुभाग–2 एवं ऊर्जा अनुभाग–1/3/ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–84–औ0सं0–17/पाकालि/2022–169–ए/67 दिनाँक 11 जनवरी, 2022

उ0प्र0 शासन ऊर्जा अनुभाग–2 की अधिसूचना आदेश सं0–1523/24–पी–2–2021–1(121)/04 दिनांक 04.01.2022 की प्रति संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा एवं केस्को कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
7. अपर सचिव–I/II/III, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/समस्त कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
10. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), क0सं0–407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
16. कट फाइल।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

Nat Mathur 6.1.22
(नवनीत माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

संख्या–84(1) औ0सं0–17/पाकालि/2022/तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के समस्त श्रम/सेवा संघो को उ0प्र0 शासन की उक्त अधिसूचना के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रेषित।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(नवनीत माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी